

पॉइस (छत्तीसगढ़ ऑनलाइन सूचना से नागरिक सशक्तिकरण)

इलेक्ट्रॉनिक आवेदन दिनांक/Electronic Application Date 02/06/2017

आवेदन संदर्भ क्रमांक/Application Reference No. 0704011725007376

चॉइस/लोक सेवा केंद्र/Choice/Lok Sewa Kendra

केंद्र का नाम/Center Name

विवरण प्रसार मूल्य /Net Amount

Rs 5.00 /-



न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, अनुविभाग मुंगेली, (छत्तीसगढ़)

स्थायी सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र

(अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति के लिये)

आवेदन संदर्भ क्रमांक 0704011725007376

रजिस्ट्रेशन क्रमांक 2017-25-015240

प्रमाणित किया जाते हैं कि राकेश रोशन कुर्रे पिता धनसाय कुर्रे निवासी सिल्ली तहसील मुंगेली तहसील जिला मुंगेली अनुसूचित जाति का सदस्य है और इस जाति को संविधान के अनुच्छेद-341 के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य के सम्बन्ध में अनुसूचित जाति/जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और यह सतनामी जाति/जनजाति अनुसूचित जाति/जनजाति (सशोधन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की सूची में अनुक्रमांक 14 पर अंकित है। अतः राकेश रोशन कुर्रे पिता धनसाय कुर्रे अनुसूचित जाति का सदस्य है।

It is hereby certified that Mr/Mrs/Ms RAKESH ROSHAN KURRE Father DHANSAY KURRE resident of SILLI village Tehsil Mungelli Tehsil District Mungelli belongs to Schedule Caste and according to article 341 such caste is included in connection with the state of Chhattisgarh as Satnami and such caste is mentioned on the serial number 14 of schedule 3, under section 19 of Madhya Pradesh Reorganization Act 2000. Therefore, Mr/Mrs/Ms RAKESH ROSHAN KURRE Father DHANSAY KURRE belongs to Schedule Caste.

2. This certificate is issued under the provisions that in case the District Level certificates verification committee or High Power Certification Scrutiny Committee during its inquiry /inspection finds the claim submitted by Mr/Mrs/Ms RAKESH ROSHAN KURRE is false or fraudulent, the certificate shall be deemed to be cancelled with immediate effect and notwithstanding contained anything under any other law for the time being in force, action shall be initiated under section 8-13 of the Chhattisgarh Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Regulation of social status certification) Act, 2013.

अनुमोदन दिनांक: 20/09/2017

द्विजित हस्ताक्षरित

सुनील अचवाल

अनुविभागीय अधिकारी

1. यह प्रमाण पत्र राकेश रोशन कुर्रे की जाति संबंध इलेक्ट्रॉनिक प्रमाण पत्र की मुद्रित प्रतिलिपि है जिसे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ नागरिक सेवा (इलेक्ट्रॉनिक अधिभारण) नियम, 2003 के द्वारा सत्यापित प्रमाण को मानी है।

This Caste Certificate is printed copy of electronic certificate which is recognise as per Chhattisgarh Citizen Service (Electronic Governance) Rule 2003 Under the Information Technology Act 2000.

2. इस इलेक्ट्रॉनिक प्रमाण पत्र का सत्यापन व दोषसिद्धि वाले अधिकारी के द्विजित हस्ताक्षर से अभिप्रायित होने का सत्यापन में द्वारा किया गया है तथा इस पर मुद्रित जानकारी अंत इलेक्ट्रॉनिक अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र में निहित है।

The Electronic Certificate is authenticated with the digital signature of Competent Authority. This has been verified by me and the information printed on Certificate is contained in the above mentioned Electronic Certificate.

3. आवेदन संदर्भ क्रमांक का उपयोग कर इस प्रमाण पत्र की वैधता जांच जानकारी edistrict.cgstate.gov.in में अथवा QR Code Scanning से प्राप्त की जा सकती है।

On using Application Reference Number, validity related details of the Certificate can be obtained at website- edistrict.cgstate.gov.in or from QR code Scanning



4. यदि इस प्रमाण पत्र को किसी अधिकारी अथवा कार्यलय द्वारा खंडित करने से इंकार किया जाता है तो इसकी मुद्रित प्रतिलिपि के पॉइस केन्द्र/सेवा केंद्र को दे अथवा दूरभाष क्रमांक 0771-2533350 पर संपर्क करें।

In case of denial of acceptance of the Certificate by any Official or Office, inform the nearest CHOICE Center/Lok Sewa Kendra or inform through telephone number 0771-2533350.